

मध्यप्रदेश विधान सभा



जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004 (श्रावण 1, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री ऊर्जा -

(1) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (2.11.2001 से 31.03.2003 तक); तथा

(2) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा-182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 861-विनिआ-04, दिनांक 27 मार्च, 2004,

(ख) क्रमांक 888-म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 2 अप्रैल, 2004,

(ग) क्रमांक 1003 म.प्र.वि.नि.-04, दिनांक 12 अप्रैल, 2004,

(घ) क्रमांक 1389-वि.नि.आ.-2003, दिनांक 29 मई, 2004, एवं

(ङ) क्रमांक 1454-म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 1 जून, 2004,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में उपचार के अभाव में कैमरामैन की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले की ग्वालियर एवं रायरू डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित
समय

4. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

3 घण्टे

(1) मांग संख्या - 30

ग्रामीण विकास

मांग संख्या - 56

ग्रामोद्योग

मांग संख्या - 62

पंचायत

मांग संख्या - 68

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत

मांग संख्या - 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या - 82

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.

निर्धारित समय	(2)	मांग संख्या	- 5	जेल
		मांग संख्या	- 14	पशुपालन
		मांग संख्या	- 16	मछली पालन
2 घण्टे		मांग संख्या	- 50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
		मांग संख्या	- 86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल.
2 घण्टे	(3)	मांग संख्या	- 18	श्रम
		मांग संख्या	- 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या	- 41	आदिवासी क्षेत्र-उपयोजना.

5. अशासकीय संकल्प

(1) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

1 घण्टा

"सदन का यह मत है कि कृषि योग्य वन भूमि जहां वर्तमान में वन अथवा पेड़ पौधे नहीं हैं उसके पट्टे गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों को जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है उन्हें दिये जावें तथा जिस वन भूमि पर 5 वर्ष पूर्व से किसान काबिज हैं उनको यथावत पट्टे दिये जावें इसके अतिरिक्त राजस्व की ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है उसे वन भूमि में परिवर्तित किया जावे."

(2) सर्वश्री रमेश सक्सेना, रसाल सिंह, पंडित हरिचरण तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं हेतु एक रंग की गणवेश अनिवार्य की जाय एवं इसे पांच वर्ष तक न बदला जावे."

(3) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि.

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर के हवाई अड्डे का उन्नयन होने व आवश्यक सुविधायें मौजूद होने से यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से उचित किराये पर हवाई सेवायें प्रारंभ की जावें."

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2004

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.